

क्रमांक 3086/301/CS / 2004/60451

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश


विषय:- वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं वन भूमि पर अतिक्रमण की प्रभावी रोकथाम
संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 365/मु.स./2000, दिनांक 22.08.2000

जैसा कि आप अवगत हैं वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं वन भूमि पर अतिक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश के अनेक संवेदनशील क्षेत्रों में विगरीत परिस्थितियों के मौजूद रहते हुए अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं वन भूमि के अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।

मेरी अपेक्षा है कि जिला टास्क फोर्स वन सुरक्षा संबंधी अपने उत्तरदायित्वों का समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर गंभीरता से पालन करे। वन विभाग को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। बार-बार वन अपराध करने वालों को सूचीबद्ध कर उनकी निगरानी की जाए और न्यायालय में प्रकरण का प्रभावी पक्ष समर्थन कर अपराधी को दण्ड दिलाया जाए। वन अपराधों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि गुप्त सूचना तंत्र विस्तृत किया जाए। गैर सरकारी संगठनों व संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षित किया जाकर वन संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। टास्क फोर्स की बैठक में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं अवैध अतिक्रमण के प्रकरणों के संबंध में की गई कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाए।

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की गतिविधियों की त्रैमासिक समीक्षा के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए। समिति के अन्य सदस्य संबंधित पुलिस महानिरीक्षक एवं संभाग के समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक होंगे। संभागीय मुख्यालय के वन संरक्षक समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति प्रति 03 माह में टास्क फोर्स की गतिविधियों की समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रमुख सचिव, वन को उपलब्ध कराए।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करें।

(निर्देश) (सि) 
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

12178

31/10/04
General Clerk, M. P. Jabalpur
11/10/04

पृ. क्रमांक ३०१/८९/२००४ / १०३०५ गोपाल दिनांक १० अक्टू

प्रतिलिपि

- १ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वृक्ष विभाग, मन्त्रालय, गोपाल
- २ प्रधान मुरुग वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, गोपाल
- ३ पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
- ४ समस्त पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश
- ५ समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश
- ६ समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश
- ७ समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग